

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (मू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)

☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558

Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 123 / 2021-22 / 7664 नवा रायपुर, दिनांक 14 / 1 / 2022

: : तिथि में वृद्धि सूचना प्रकाशन : :

वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी. आई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2021-22 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। छ0ग0 राज्य में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों की महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश विलम्ब से प्रारंभ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के फलस्वरूप तिथि में वृद्धि की जा रही है।

जिसके अंतर्गत संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है :-

क्र	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/ नवीनीकरण)	दिनांक 17.01.2022 से दिनांक 24.01.2022
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 17.01.2022 से दिनांक 25.01.2022 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 17.01.2022 से दिनांक 27.01.2022 तक
4	Disburse शासकीय/अशासकीय	दिनांक 29.01.2022 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2021-22 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Proposal Lock, Sanction Order Lock अथवा Disburse करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0

Advertisemnt No

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कबीरधाम

कमांक/११८/आजाक/पो.मै.ऑन.छात्र./2021-22
प्रति,

कबीरधाम दिनांक 12/01/2022

सर्व प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,

विकासखण्ड-कवर्धा/बोडला/पंडरिया/स.लोहारा
जिला-कबीरधाम(छ.ग.)

विषय :- वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑन-
लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(कक्षा 12वीं से उच्चतर) आवेदन एवं स्वीकृति करने बाबत।
संदर्भ :- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर का पृ.
कमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./123/2021-22/7663 नवा रायपुर दिनांक 14.01.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार वर्ष 2021-22 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रारंभ की गई है।

विद्यार्थियों के आवेदनों एवं संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की गई है विवरण:-

क्र.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	2	3
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 17.01.2022 से 24.01.2022 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 17.01.2022 से 25.01.2022 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 17.01.2022 से 27.01.2022 तक

कृपया निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2021-22 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत एवं Draft Proposal Lock, Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किये जाने का निर्देश प्राप्त है। प्राप्त निर्देशानुसार उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के पात्रता रखने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होने की स्थिति में संस्था प्रमुख स्वतः जवाबदार होंगे।

2863
पृ0कमांक/ /आजाक/पो.मै.ऑन.छात्र./2021-22
प्रतिलिपि:-

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम
कबीरधाम दिनांक 12/01/2022

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार तीन दिवस नि:शुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करेंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम